

न्यायालय :-स्नेहा सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला दमोह (म.प्र.)

:- संशोधित दाण्डिक कार्य वितरण आदेश :-

जावक क्रमांक-.../2026

दमोह, दिनांक-16.09.2026

दांडिक कार्य वितरण आदेश क्रमांक 40/स्टेनो/2026 दिनांक 24.06.2026 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

01. दांडिक कार्य विभाजन के आदेश के सरल क्र. 2 की कंडिका क्र.03 के सरल क्र. 02 को विलोपित करते हुए सरल क्र. 5 के खंड क्रमांक 03 के सरल क्र. 08 के पश्चात नवीन कंडिका 09 निम्नानुसार अंतःस्थापित की जाती है:-

09. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पृ. क्र. ई/708/दो-15-18/2001, दिनांक 08 सितम्बर 2026 मय मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना भोपाल दिनांक 07.09.2026 के अनुसार ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां।

स्नेहा सिंह

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
जिला दमोह म.प्र.

पृष्ठांकन-.../स्टेनो/2026
प्रतिलिपि-

दमोह, दिनांक 16.09.2026

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, दमोह की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह, जिला दमोह।
3. निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह, जिला दमोह।
4. श्री निलेश मूलतकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह।
5. कम्प्यूटर अनुभाग दमोह, जिला दमोह की ओर सूचनार्थ।
6. जिला लोक अभियोजन अधिकारी दमोह जिला दमोह।

स्नेहा सिंह

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
जिला दमोह म.प्र.